17/5/17

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ जिला भीलवाडा(राज०)

प्रकरण संख्या 147/2017

काली देवी पत्नि हिरालाल वगैरह नि. श्यामपुरा बनाम (1) रामलाल S/o मोतीलाल वगैरह नि. श्यामपुरा
(2) शिवराज S/o धीसूलाल मीणा नि. ..
(3) तेजसिंह S/o खुमानसिंह राजपूत नि.
(4) मन्नालाल S/o नारायणलाल मीणा नि. ..
(5) निम्बा S/o गोडू मीणा नि. ..

प्रार्थनापत्र–अन्तर्गत धारा 111–128 रा0ले0रे0ए0

– आदेश :– दिनांक 16/5/17

प्रार्थनापत्र प्रार्थीश्री काली देवी वगैरह ने जरिये अभिभाषक श्री S.N. जीनगर ने प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे एकल खाते की भूमि ग्राम श्यामपुरा प0ह0 श्यामपुरा तह0 माण्डलगढ मे आ. नं. 1335/4

किता 1 रकबा 5 बीघा बिस्वा भूमि स्थित है। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा फिसाद करते है। अतःपत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे। साथ मे प्रार्थनापत्र की ताईद मे शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया, प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली मे संलगन जमाबंदी सम्वत के अवलोकन से प्रार्थी उक्त आराजीयात का खातेदार/गैरखातेदार काश्तकार है। पडौसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता है।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0ले0रे0एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम श्यामपुरा की आराजी न0 1335/4

रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। भू–अभिलेख निरीक्षक को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 300 /रूपये वक्त पत्थरगढी प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। एवं पत्थरगढी की शुल्क राशि 100/रूपये राजकोष मे जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार माण्डलगढ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।